

प्रधान महालेखाकार (ले०&ह०) का
कार्यालय
बीरचंद पटेल पथ,
पटना, बिहार - 800001



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थं सत्यमिहा
Dedicated to Truth in Public Interest

OFFICE OF THE PRINCIPAL
ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
BIRCHAND PATEL PATH
PATNA, BIHAR - 800001

सं० / No. Admn-I/(A&E)/263777/C- 221

दिनांक / Date: 23.03.2026

कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER

यह मुख्यालय के संज्ञान में आया है कि कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया एवं अन्य अनौपचारिक स्रोतों के माध्यम से अप्रमाणित एवं भ्रामक सूचनाएं, जिनमें कथित आधिकारिक संचार भी शामिल हैं, प्रसारित की जा रही हैं। इस संबंध में, मुख्यालय द्वारा परिपत्र संख्या 13-Staff/2026, पत्र संख्या 221-Staff (Appt. III)/163-2024 दिनांक 17.03.2026 के माध्यम से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

It has come to the notice of the Headquarters' Office that certain unverified and misleading information, including purported official communications, is being circulated through informal channels and social media platforms by some officials. In this regard, the Headquarters' Office has issued Circular No. 13-Staff/2026 vide letter No.221-Staff (Appt. III)/163-2024 dated 17.03.2026.

उक्त परिपत्र में निहित निर्देशों के अनुपालन में, इस कार्यालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे किसी भी अप्रमाणित सूचना को संदेश अनुप्रयोगों, ई-मेल समूहों अथवा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से न तो तैयार करें, न प्रसारित करें, न अग्रेषित करें और न ही उस पर विश्वास करें। किसी भी सूचना, परिपत्र, आदेश या निर्देश को तभी प्रामाणिक माना जाएगा जब वह आधिकारिक माध्यम से जारी किया गया हो या संबंधित सक्षम प्राधिकारी से विधिवत सत्यापित हो।

In compliance with the instructions contained in the aforesaid circular, all officials of this office are advised not to create, circulate, forward, or rely upon any such unverified information through messaging applications, email groups, or social media platforms. Any information, circular, order, or instruction shall be treated as authentic only when issued through official channels of communication or duly verified from the competent authority concerned.

2. अप्रमाणित अथवा भ्रामक सूचनाओं का प्रसार, जिनमें कथित आधिकारिक संचार भी शामिल हैं, को गंभीरता से लिया जाएगा तथा प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत विधिक एवं विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।

Dissemination of unverified or misleading information, including purported official communications, shall be viewed seriously and may attract legal as well as disciplinary action under the relevant provisions.

3. अधिकारियों/कर्मचारियों को यह भी स्मरण कराया जाता है कि जाली इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों या भ्रामक सूचनाओं का निर्माण या प्रसार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय हो सकता है। इसके अतिरिक्त, ऐसे कृत्य केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के अंतर्गत कदाचार माने जाएंगे।

Officials are hereby reminded that creation or circulation of forged electronic records or misleading information may attract provisions of the Information Technology Act, 2000. Further, such acts shall also be treated as misconduct under the provisions of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964.

4. अतः समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया जाता है। कथित आधिकारिक दस्तावेजों के रूप में भ्रामक या मनगढ़ंत इलेक्ट्रॉनिक संचार का प्रसार गंभीर कदाचार माना जाएगा तथा संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध लागू सेवा नियमों के अंतर्गत कड़ी विभागीय कार्रवाई, साथ ही प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है।

All officials are, therefore, directed to comply strictly with these instructions. Circulation of fabricated or misleading electronic communications purporting to be official documents shall be treated as serious misconduct, and strict disciplinary action under applicable service rules, in addition to legal action under relevant provisions of law, may be initiated against the individuals involved.

Digitally signed by
DEVENDRA PRATAP SRIVASTAVA
Date: 23-03-2026 16:16:14
उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रतिलिपि (सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित)-

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना।
2. सचिव, व० उप महालेखाकार (प्र. एवं जीई), बिहार, पटना।
3. सचिव, व० उप महालेखाकार (पेंशन एवं फंड), बिहार, पटना।
4. सचिव, उप महालेखाकार (कार्य, लेखा एवं भीएलसी), बिहार, पटना।
5. डाटा मैनेजर, आई0टी0एस0 - कार्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. सूचना पट्ट / सोशल नेटवर्किंग ग्रुप।

Digitally signed by
Deepak Kumar
Date: 23-03-2026
16:23:04

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशासन-I)